न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी (नागौर)
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर. ए. एस.
मुकदमा संख्या 63/2023

प्रार्थी

1. धर्मेन्द्रनाथ पुत्र श्री नेनूनाथ
   जाति नाथ निवासीगण चिकनास तहसील डेगाना जिला नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. प्रथ्वीनाथ पुत्र श्री मनोहरनाथ
2. मुकेशनाथ पुत्र श्री मस्तानानाथ
3. भंवरी देवी पत्नी नेनूनाथ
4. संजनाथ पुत्र घासीनाथ नाबालिग जरिये दादी भंवरी देवी
5. मोतीनाथ पुत्र श्री प्रभुनाथ
6. पाबूनाथ पुत्र श्री प्रभुनाथ
7. रामेश्वरी पत्नी श्री पाबुनाथ
   जातियान नाथ निवासीगण चिकनास तहसील डेगाना जिला नागौर।
8. रामाकिशन पुत्र श्री मुगनाराम जाति जाट निवासी मोडीकलां तहसील रियांबडी
9. लक्ष्मणराम पुत्र जस्साराम जाति जाट निवासी भैरून्दा तहसील रियांबडी
10. तहसीलदार रियांबडी
11. पटवारी हलका मोडीकलां
12. उपपंजीयक भैरून्दा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 12/8/24

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि

1. यह है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 से 7 एक ही परिवार के सदस्य है दोनो हिन्दु है। हिन्दु विधि की मिताक्षरा शाखा से गवर्न होते है। अप्रार्थी संख्या 8 व 9 सहखातेदार है।
2. मौजा मोडीकलां की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 33 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नंबर 34 रकबा 0.86 हैक्टर, खसरा नंबर 8 रकबा 4.92 हैक्टर की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की संयुक्त खातेदारी की काश्त कब्जासुद भूमि आई हुई है जिसे प्रार्थना पत्र में मुतनाजा अराजी के नाम से संबोधित की गई है।
3. यह है कि वादग्रसत खसरान में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की काश्त कब्जासुद है जो उतराधिकार में प्राप्त हुई है। इस प्रकार वादग्रस्त खसरान भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है। जिसमें प्रार्थी को जन्म से अधिकार व हक है। अप्रार्थी संख्या 8 व 9 सहखातेदार है।
4. यह है कि खसरा नंबर 33 रकबा 0.92 हैक्टर की भूमि मे प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 का 1/20–1/20 हिस्सा है व अप्रार्थी संख्या 5 का 1/4 हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या 7 का 1/4 हिस्सा है व अप्रार्थी संख्या 9 का 1/4 हिस्सा है। खसरा नंबर 34 रकबा 0.86 हैक्टर, खसरा नंबर 8 रकबा 4.92 हैक्टर कुल रकबा 5.78 हैक्टर मे से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 प्रत्येक का 1/20–1/20 व अप्रार्थी संख्या 5,6 व 8 का 1/4–1/4 हिस्सा है तथा सहुलियत से अलग अलग काश्त कब्जा है। मगर वादग्रसत खसरान में खातेदारी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त रूप से नाम दर्ज है। वादग्रस्त खसरान में प्रार्थी व अप्रार्थी 1 से 9 का सहुलियत से अलग–अलग काश्त कब्जासुद है परन्तु अभी बंटवाडा बाई मीट एंड बाउंड नही हुआ है।
5. वादग्रस्त खसरा प्रार्थी व अप्रार्थी 1 से 7 की पैतृक भूमि है जिसमे सभी को समान हक व अधिकार प्राप्त है। खसरा नंबर 33 रकबा 0.92 हैक्टर की भूमि मे प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 का 1/20–1/20 हिस्सा है व अप्रार्थी संख्या 5 का 1/4 हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या 7 का 1/4 हिस्सा है व अप्रार्थी संख्या 9 का 1/4 हिस्सा है। खसरा नंबर 34 रकबा 0.86 हैक्टर, खसरा नंबर 8 रकबा 4.92 हैक्टर कुल रकबा 5.78 हैक्टर मे से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 प्रत्येक का

उपखण्ड अधिकारी
रियांबडी(नागौर)

1/20–1/20 व अप्रार्थी संख्या 5,6 व 8 का 1/4–1/4 हिस्सा है व सहुलियत से अलग अलग काश्त काबिज है।

यह है कि खसरा नंबर 33 रकबा 0.92 हैक्टर की भूमि मे प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 का 1/20–1/20 हिस्सा है व अप्रार्थी संख्या 5 का 1/4 हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या 7 का 1/4 हिस्सा है व अप्रार्थी संख्या 9 का 1/4 हिस्सा है। खसरा नंबर 34 रकबा 0.86 हैक्टर, खसरा नंबर 8 रकबा 4.92 हैक्टर कुल रकबा 5.78 हैक्टर मे से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 प्रत्येक का 1/20–1/20 व अप्रार्थी संख्या 5,6 व 8 का 1/4–1/4 हिस्सा है व सहुलियत से बिना बंटा हुआ अलग अलग काश्त काबिज है। मगर वादग्रस्त खसरान का बंटवाडा बाई मीट एंड बाउंड नही हुआ है।

7. यह है कि विवादित खसरान की खातेदारी संयुक्त रूप से दर्ज होने से अप्रार्थीगण की नियत में फर्क आ गया है। अप्रार्थीगण बदनियति से अन्य लोगो से मिलावट करके बिना बंटवाडा करवाये ही वादग्रस्त खसरान के विशेष भू भाग का बेचान व हस्तांतरण करने पर आमादा है। तथा प्रार्थी को वादग्रस्त खसरान की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। प्रार्थी को काश्त नही करने दे रहे है। यदि अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादो में सफल हो गये तो प्रार्थी का अपूर्णीय क्षति होगी जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दर्ज कर नोटिस जारी किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील अप्रार्थी ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने संयुक्त खातेदारी व बिना बंटवाडा की भूमि होने से संभी खसरो में सभी सह खातेदारो का हिस्सा होने से किसी प्रकार की दखलअंदाजी बेचान हस्तांतरण अप्रार्थीगण नही कर सकते है एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति वाद के निर्णय तक बनाये रखने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब दावे में कथन किया कि उक्त वादग्रस्त खसरान की भूमि मे से 2/20 हिस्सा की भूमि जवाब देहिन्दा ने संपूर्ण खातेदारी हक का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 04.04.2023 को भंवराराम ढाका निवासी बरेव तहसील परबतसर जिला नागौर को करके कब्जा सुपुर्द कर दिया। बेचाननामा व कब्जा काश्त के आधार पर राजस्व रेकर्ड मे नामांतरण खोला गया है जो प्रक्रियाधीन है। अप्रार्थी जवाब देहिन्दा को अपनी खातेदारी की काश्त कब्जा भूमि का बेचान करने का पूरा हक व अधिकार है। अब उक्त वादग्रस्त खसरान में 2/20 हिस्सा क्रेता भंवराराम का खरीदसुदा व काश्त कब्जासुदा है। अप्रार्थी जवाब देहिन्दा को अपनी खातेदारी की जमीन बेचने का पूरा हक अधिकार है जिसमें प्रार्थी को कोई क्षति नही हो रही है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष मे है जिससे प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे एवं अप्रार्थी जवाबदेहिन्दा की उक्त वादग्रस्त खसरान में जवाबदेहिन्दा का 2/20 हिस्सा संपूर्ण खातेदारी हक का बेचान जरिये बेचाननामा दिनांक 04.04.2023 को भंवराराम ढाका पुत्र श्री सुगनाराम ढाका जाति जाट निवासी बरेव तहसील परबतसर जिला नागौर को कब्जा सुपुर्द कर दिया एवं नामांतरण प्रक्रियाधीन है जिसकी जानकारी होने के बावजूद भंवराराम को आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार नही बनाया जिससे उक्त वाद मिसजोईन्डर ऑफ पार्टीज होने के कारण काबिल खारिज है एवं अप्रार्थीगण जवाबदेहिन्दा को नाहक मुकदमेबाजी मे घसीटा है। अप्रार्थीगण जवाबदेहिन्दा विशेष क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी ने जवाब पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में मौजूद राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया जिसमे पाया गया कि अप्रार्थी जवाबदेहिन्दा ने अपने हक हिस्से का बेचान श्री भंवराराम निवासी बरेव को कर दिया है जो प्रक्रियाधीन नामांतरणकरण है जो राजस्व खतौनी में अंकित है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति जो अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निस्तारण करते समय आवश्यक बिन्दु है। उक्त तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में होना नही पाया जाता है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व स्थगन आदेश दिनांक 18.05.2023 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12/8/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना (नागौर)